न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अनुपमा जोरवाल I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	जी.सी.एम.एस	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
23/2020	2020/00060	28.12.2020	24.02.2021

श्री शम्भुलाल पिता गौतम भीणा निवासी हजारीगुड़ा तहसील धरियावद

– अपीलार्थी

–: बनाम :–

श्री सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ – रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1976 के तहत

उपस्थिति :–

1. श्री रामलाल मीणा एवं श्री सिद्वार्थ मोदी अधिवक्ता
2. पैरोकार सरकार (रसद)

–: आदेश :– दिनांक :–24.02.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विरूद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी प्रतापगढ़ प्रकरण संख्या 341/2020 निर्णय दिनांक 25.11.2020 एवं आदेश क्रमांक :– रसद/अभियोजन/2020/2783–90 दिनांक 25.11.2020 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी उचित मूल्य दुकानदार (शम्भुलाल) FPS संख्या 15302 ग्राम पंचायत हजारीगुड़ा तहसील धरियावद का संचालक है।

अपीलार्थी के विरूद्ध ग्राम पंचायत के उपभोक्ताओं द्वारा राजनैतिक द्वेषता पूर्वक की गई शिकायत पर रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी (श्री रामचन्द्र शेरावत) एवं प्रवर्तन निरीक्षक (श्री मनोज कुमार) द्वारा दिनांक 18.08.2020 को मौके पर पहुंच कर शिकायत की जांच की गई।

प्रवर्तन स्टॉफ कार्यालय में प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार जांच में अपीलान्ट द्वारा उपभोक्ता प्रमुलाल/रूपा (राशन कार्ड संख्या 010803000081) को 40 कि.ग्रा. गेहुं देने के बजाय 30 कि.ग्रा. एवं 20 कि.ग्रा. गेहुं उपभोक्ता रूपलाल/अर्जुन (राशन कार्ड संख्या 010803000110) को 23 अप्रेल 2016 से 8 जून 2019 तक लगातार 40 कि.ग्रा. गेहुं देने की बजाय 35 कि.ग्रा. गेहुं का वितरण किया गया।

उपभोक्ता रकमा/गौतमा (राशन कार्ड संख्या 200002169049) को चीनी कभी वितरण नहीं की गई और दिनांक 11.06.2020 को 01 कि.ग्रा. दाल दी जबकि इन्द्राज 3 कि.ग्रा. का किया।

इस प्रकार करीब 22 उपभोक्ताओं को राशन सामग्री कम वितरण करना तथा राशन कार्ड में पुरी मात्रा का अंकन करना बताते हुए तथा अपीलान्ट के विरूद्ध शिकायत उपभोक्ताओं द्वारा करने के

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

तथ्य पर रेस्पोडेन्ट ने प्रवर्तन अधिकारी व निरीक्षण की जांच पर विचारण करते हुए अपीलान्ट द्वारा की गई अनियमितता राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11 एवं 17 ग का स्पष्ट उल्लंघन है इसलिये उक्त आदेश के खण्ड 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री शम्भुलाल उचित मुल्य दुकानदार ग्राम पंचायत हजारीगुडा तहसील धरियावद को जारी प्राधिकार पत्र प्रतिभूति राशि जप्त करते हुए निरस्त किया जाता है।

इस निर्णय से असन्तुष्ट होकर यह अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट निम्न प्रकार प्रस्तुत की :–

1. यह कि रेस्पोडेन्ट ने प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की जांच पर अति विश्वास करते हुए जो निर्णय प्रदान किया गया वह विधि विरूद्ध होकर अपास्त योग्य है।
2. यह कि दिनाक 26.08.2020 को प्रवर्तन अधिकारी श्री रामचन्द्र शेरावत एवं प्रवर्तन निरीक्षण श्री मनोज कमार गरासिया ने अपीलान्ट के उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया उस दौरान स्वयं अपीलान्ट मौके पर मौजुद रहकर दोनों जांचकर्ताओं को पूर्ण सहयोग किया। इस दौरान स्वयं जांचकर्ताओं ने अपनी रिपोर्ट के पैरा संख्या 12 में उल्लेखित किया कि :–

1. उचित मूल्य दुकान का स्टॉक व रिकार्ड का अवलोकन किया जिस दौरान उचित मुल्य दुकानदार शम्भुलाल मीणा स्वयं उपस्थित रहा। गेहुं का भौतिक सत्यापन करने पर कुल गेहुं 291.83 क्विं. होना चाहिए था जो भौतिक सत्यापन करने पर सही पाया गया तथा दाल का 7.72 क्विं. स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर सही मिला। चीनी के 3.77.350 क्विं. स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर सही मिला। केरोसीन के 0.13 लीटर का भौतिक सत्यापन करने पर नहीं मिला।
2. उचित मूल्य दुकान के बाहर सूची बोर्ड लगा हुआ था तथा मूल्य एवं स्टॉक का प्रदर्शन किया जाना पाया गया।

जांच रिपोर्ट के अंतिम पैरा में लिखा गया "इस प्रकार उचित मूल्य दुकानदार द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11 एवं 17 (ग) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अतः उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

श्रीमान से अपीलान्ट का निवेदन है कि जब प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक ने उचित मूल्य दुकान का जब निरीक्षण किया तब सामग्री की मात्रा की भौतिक जांच करने पर सभी सही पायी गयी, दुकान के बाहर सूची बोर्ड लगना व उस पर स्टॉक का प्रदर्शन किया जाना भी सही पाया गया तो किस आधार पर अपीलान्ट के प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया। श्रीमान से अपीलान्ट का निवेदन है कि अब जांच में सभी स्थिति सही पायी गयी और मात्र उपभोक्ताओं के कथनों को सत्य का आधार मानकर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया वह विधि विरूद्ध होकर यह निर्णय अपास्त योग्य है।

3. यह कि कारण बताओ नोटिस के कॉलम नम्बर 6 नाथु/नानजी (राशनकार्ड संख्या 200002982349) को चीनी आदिनांक तक नहीं दी एवं माह अप्रेल 2020 के बाद दाल भी नहीं दी जा अंकन किया गया जबकि यही राशनकार्डधारी रेस्पोडेन्ट के यहां चले प्रकरण में बयान करता है कि "नाथु पिता नानजी निवासी हजारीगुडा द्वारा माह अगस्त में 1 कि.ग्रा. चीनी प्राप्त किया मशीन द्वारा 1 कि.ग्रा. का बिल प्राप्त हुआ था, राशन डीलर द्वारा पुरी सामग्री नहीं दी गई थी। अतः डीलर द्वारा 5 दिन बाद राशन डीलर द्वारा शेष सामग्री प्राप्त कर ली गई थी। मूझे मेरे राशनकार्ड में दर्ज पुरी सामग्री प्राप्त कर ली गई है। मुझे डीलर से कोई शिकायत नहीं है।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

इसी प्रकार कारण बताओ नोटिस के पैरा संख्या 9 के उपभोक्ता संख्या 3 जीवली/सूरज (राशनकार्ड संख्या 200003540435) अपने बयान में कथन करती है कि " मेरे द्वारा अगस्त में 30 कि. ग्रा. गेहुं प्राप्त किया। अतः मशीन द्वारा 25 कि.ग्रा. का बिल प्राप्त हुआ था। राशन डीलर द्वारा पुरी सामग्री नहीं दी गई थी अतः मेरे द्वारा 5 दिन बाद राशन डीलर द्वारा शेष सामग्री 5 कि.ग्रा. प्राप्त कर ली गई थी। मुझे मेरे राशन कार्ड अनुसार पूरी सामग्री प्राप्त कर ली गई है। मूझे राशन डीलर से कोई शिकायत नहीं है।" इसी प्रकार ग्राम पंचायत हजारीगुडा ने भी अपीलान्ट के प्राधिकार पत्र को बहाल करने की अनुशंषा की और उपभोक्ता शम्भुलाल पिता वागजी, केसीया पिता कानिया, बहादुर पिता कमजी, नाथु पिता नानजी ने अपने बयान भी उक्त प्रकरण में लेखबद्ध कराये है जिसमें उक्त उपभोक्ताओं ने स्पष्ट किया है कि उनको सामग्री पूर्ण रूप से मिल गयी है हमको डीलर से किसी भी प्रकार की काई शिकायत नहीं है फिर भी रेस्पोडेन्ट ने इन तथ्यों पर गौर नहीं कर जो निर्णय प्रदान किया है वह अपास्त योग्य है।

5. यह कि दौराने जांच स्टॉक का पूर्ण होना यह दर्शाता है कि डीलर ने किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं की है अगर स्टॉक में भारी मात्रा में कमी होना पाया जाता तो सम्भव था कि अपीलान्ट द्वारा गबन करते हुए कालाबाजारी की है लेकिन स्टॉक पूर्ण पाया गया इस तथ्य को जांचकर्ताओं ने भी मानकर अपनी जांच रिपोर्ट में इसका अंकन किया लेकिन मात्र कुछ उपभोक्ताओं द्वारा जिन उपभोक्ताओं के नाम शिकायत में दर्ज किये गये है उन उपभोक्ताओं को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके नाम से डीलर के खिलाफ शिकायत की गयी वही उपभोक्ता बाद में यह कहते है कि " यह राजनैनिक द्वेषतावश कार्यवाही की गयी है हमको डीलर शम्भुलाल से कोई शिकायत नहीं है बल्कि हम इनकी राशन वितरण व्यवस्था से संतुष्ट है।" ऐसी स्थिति में भी रेस्पोडेन्ट द्वारा कुछ राजनैतिक द्वैषता रखने वाले उपभोक्ताओं के मात्र कथनों को जिनके राशनकार्ड में भी कोई गबन या कमी मात्रा का अंकन नहीं है मात्र मौखिक कथनों पर ही अत्यन्त विश्वास करते हुए तथा तथ्यात्मक व दस्तावेजी साक्ष्य व ऐसे उपभोक्ता जिनके नाम शिकायत में दर्ज किये गये है, के द्वारा डीलर से किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं है, का अंकन करने के बावजुद भी रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट की प्रतिभूति राशि जप्त करते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त किया जो विधि विरूद्ध होकर अपास्त योग्य है।

6. यह कि अपीलान्ट ने कभी भी किसी भी उपभोक्ता के साथ में भेदभाव या पक्षपातपूर्ण रवैया अपना कर वितरण नहीं किया है बल्कि पूर्ण निष्ठा व लगन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहा लेकिन मात्र राजनैतिक द्वैषता के चलते व कुछ उपभोक्ताओं के मौखिक कथनों पर अत्यधिक विश्वास करते हुए जो निर्णय प्रदान किया वह काबिले निरस्त योग्य है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी (जिला रसद अधिकारी,प्रतापगढ़) को सूचना पत्र जारी किये गए जिनकी बाद तामील रिपोर्ट पेरोकार सरकार रसद प्रवर्तन अधिकारी रसद श्री रामचन्द्र शेरावत स्वयं मय रिकार्ड कार्यावाही प्रकरण संख्या 341/2020 निर्णय दिनांक 25.11..2020 के उपस्थित हो उपस्थित हुए।

प्रकरण में बहस उभयपक्ष अन्तिम दिनांक 22.02.2021 को सूनी गई दौराने बहस अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुतं अपील मेंमों दिनांक 16.12.2020 में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किए कि वक्त जांच मौका निरीक्षण जांच दल रसद विभाग द्वारा दिनांक 18.08.2020 को अपीलार्थी द्वारा संचालित FPS 15302 उचित मूल्य दुकान (हजारीगुडा) की जांच अन्तर्गत अपील में वर्णित उपभोक्ताओं द्वारा राजनैतिक द्वेशता एवं अन्य उचित मूल्य दुकानदार के बहकावे में आकर अपीलार्थी विरूद्ध मिथ्या शिकायते से भ्रमित होकर अपीलार्थी के

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

विरूद्ध यह कार्यवाही की गई है जबकी अपीलार्थी का पूर्व रिकार्ड उत्कष्ट प्रकृति की रहा है तथा अपीलार्थी के प्रभावशील व्यक्तित्व को धुमिल करने की नियत से शिकायतकर्ताओं द्वारा शिकायत में वर्णित कथनों को निरीक्षण जांच दल के सामने दबाव में दौहराते हुए बयान कथन किये गये है तथा उनके द्वारा पुनः अपने कथनों से असहमी भी अभिव्यक्त कर दी गई है जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विरूद्ध की गई समग्र कार्यवाही द्वेश्ता पूर्वक कार्यवाही है अर्थात अपीलार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कालाबाजारी अथवा अनियमितता नहीं की गई फिर भी जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा जरिये प्रकरण संख्या 341/2020 निर्णय दिनांक 25.11.2020 से अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया जाना न्याय एवं नियमों के विरूद्ध रहा है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर विवादित आदेश दिनांक 25.11.2020 को अपास्त फरमाते हुए अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र मय प्रतिभूति राशि बहाल किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

इसी प्रक्रम में उपस्थित पैरोकार सरकार सदर विभाग द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड मौका निरीक्षण एवं जांच कार्यवाही तथा निर्णित प्रकरण संख्या 341/2020 दिनांक 25.11.2020 में संलग्न दस्तावेज मौका निरीक्षण जांच रिपोर्ट दिनांक 26.08.2020 में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा वक्त मौका निरीक्षण जांच कार्यवाही पॉस मशीन में अंकित रिकार्ड अनुसार शिकायतकर्ता उपभोक्ताओं को नियमानुसार देय राशन सामग्री का वितरण नहीं किया जा रहा थां इस संबंध में मौके पर उपस्थित एवं अन्य शिकायतकर्ता तथा सरपंच उपसरपंच ग्राम पंचायत हजारीगुडा द्वारा कराए गए बयान उपभोक्ताओं के अनुसार भी अपीलार्थी द्वारा उपभोक्ताओं को मिलने वाली सामग्री नियत अनुपात में नहीं दी जाकर मन मर्जी से टुकडों टुकडों में दिया जाना अनियमिता का प्रतीक रहा है। किन्तु साथ ही वक्त मौका निरीक्षण कार्यवाही अपीलार्थी द्वारा पूर्ण सहयोग किया जाना तथा पॉस मशीन में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार भौतिक सत्यापन राशन सामग्री युक्ति–युक्त पाई गई थी। फिर भी अपीलार्थी को जारी कारण बताओं नोटिस दिनांक 26.08.2020 के संबंध में युक्ति–युक्त जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने के चलते अपीलार्थी के विरूद्ध अमल में लाई गई निलंबन कार्यवाही दिनांक 27.08.2020 के अनुसार अपीलार्थी के विरूद्ध संचालित प्रकरण संख्या 341/2020 निर्णय दिनांक 25.11.2020 उचित रहा है।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का गहन अवलोकन अवलोकन किया गया जिसमें मुख्य रूप से प्रस्तुत अपील मेमों दिनांक 16.12.2020 एवं वक्त जांच मौका निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 26.08.2020 एवं निलंबन आदेश दिनांक 27.08.2020 तथा कारण बताओं नोटीस दिनांक 26.08.2020 एवं प्रकरण में प्रस्तुत समस्त दोहरे बयान प्रपत्र उपभोक्ताओं तथा ग्राम पंचायत सरपंच एवं उपसरपंच द्वारा प्रस्तुत दोनो प्रतिवेदन पत्रों निर्णित पत्रावली संख्या 341/2020 के साथ साथ प्रकरण में प्रचलित विधियों का भी गहन अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन की रोशनी में ज्ञात आया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मेमों में वर्णित कथन एवं पैरोकार सरकार रसद द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड निर्णित पत्रावली संख्या 341/2020 निर्णय दिनांक में संलग्न समस्त दस्तावेजों के अनुसार अपीलार्थी द्वारा किया गया कृत्य मानवीय भूल समान प्रतीत होता है तथा बक्त बहस पैरोकार सरकार द्वारा किये गए कथन की अपीलार्थी के उचित मूल्य दुकान संचालन का समग्र रिकार्ड अच्छा रहा है और अपीलार्थी के विरूद्ध कोई शिकायत भी विचाराधीन नहीं रही है साथ ही उपलब्ध रिकार्ड अनुसार अपीलार्थी द्वारा संचालित उचित मुल्य दुकान FPS 15302 अन्तर्गत वक्त निरीक्षण कम पाई गई समस्त राशन सामग्री वक्त निरीक्षण भौतिक सत्यापन में सही पाए जाने एवं वर्तमान कोविड परिस्थितियों

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

में उपभोक्ताओं के समुचित वितरण एवं अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं के माध्यम से नवीन चयन प्रक्रिया को अमल में लाया जाना संभव नहीं रहा है तथा अपीलार्थी द्वारा सरे इजलास उसके द्वारा बरती गई अनियमिताओं को स्वच्छ मन स्थिति से स्वीकार किये जाने से तथा अपीलार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत शिकायतों के शिकायतकर्ताओं द्वारा दोहरे कथन किये जाने की स्थिति में अपीलार्थी की जब्त धरोहर प्रतिभूति राशि को राजसात रखा जाने के आंशिक दण्ड दिया जाकर अपीलार्थी को शिथिलन का पात्र मानते हुए अपीलार्थी को न्यायहित में एक अवसर रसद विभाग की अनुशंषा अनुसार प्रदान किया जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

अतः अपील अपीलार्थी न्यायहित में आंशिक स्वीकार कि जाकर ज़िला रसद अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 341/2020 में जारी आदेश दिनांक 27.08.2020 एवं 25.11..2020 को अपास्त करते हुए निर्देश दिए जाते है कि अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र (FPS 15302) नवीन प्रतिभूति राशि जमा कराने की शर्त के साथ बहाल किया जावे तथा अपीलार्थी को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में ऐसे कृत्यों की पुनरावर्ती नहीं करें और करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को मेरे द्वारा सरेइजलास सुनाया जाकर लेखबद्ध कराया गया।

(अनुपम जोरवाल)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

Scanned with CamScanner